

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 340 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 28 /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

प्रस्ताव ऑन लाईन एफ0पी0/यू0के0/39852/2019 जनपद चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग 0.981 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

ई0डी0एस0 दिनांक 20.06.2020.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में पायी गयी कमियो का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, थराली ने अपने पत्र सं0 698/36सी दिनांक 13.07.2020 से निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है तथा निम्न बिन्दुओं के प्रपत्रों की हार्ड प्रति अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून के कार्यालय में जमा की चुकी है। (पत्र संलग्न)

1.	Some other documents uploaded in the place of Justification. Please upload justification authenticated by DFO at section D in form A Part I.	वन भूमि का औचित्य प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाईन यथास्थान अपलोड की जा चुकी है।
2.	Name and Designation of the competent authority who has issued the authorization letter in favour of authorized person is not mentioned (online Para A-3(xvii) of Para I.)	वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन करने वाले नामित करने वाले अधिकारी का नाम ऑनलाईन यथास्थान अपलोड की जा चुकी है।
3.	User agency may review employment generation details at section E in form A part I.	User Agency are mentioned Employment generation details at section E in form A part I.
4.	Aerial Distance and district profile have not been uploaded as additional information at section 13 in form A Part I.	Aerial distance and district profile has been upload in additional information sr. no. Part II.
5.	As per KML file its same the dense forest area and no habitation exist near the area. no of village to be benefited is mentioned to, user agency may submitted detail justification of requirement of road and show the beneficiary village along with the existing road networking KML file.	वन भूमि के औचित्य प्रमाण पत्र के साथ-साथ के0एम0एल0 फाईल प्रदर्शित करते हुए ऑनलाईन यथास्थान अपलोड किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 340 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रपत्रों की एक हार्ड प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

एन0पी0वी0 की धनराशि का प्रमाण पत्र

प्रस्ताव का नाम:- जनपद चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- ईको-क्लास श्रेणी - V
- 2- हरियाली का घनत्व- 0.3
- 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रू0 6,57,000/-
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 0.981 है0
- 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 6,44,5,17.00


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर